राष्ट्र महिला

खंड 1 संख्या 199 फरवरी 2016 राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा प्रकाशित

संपादकीय

यह जानकारी प्रसन्नता होती है कि बेंगलुरू में तंजानिया की एक युवा विद्यार्थी, जिसको निर्वस्त्र करके एक उपद्रवी भीड़ द्वारा पीटा गया था , के साथ हुए अवर्णनीय व्यवहार के बाद उस घटना को भारी संख्या में जनता ने शर्मनाक ठहराया और सहानुभूति और आक्रोश व्यक्त किया। इस नृशंस घटना की जोरदार शब्दों मे भर्त्सना करते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग ने घटना को स्वतः संज्ञान में लिया और पुलिस से की गई कार्यवाही की रिपोर्ट मांगी है।

प्रधान मंत्री कार्यालय ने भी सीधा हस्तक्षेप किया और विदेश कार्य मंत्रालय को तंजानियन उच्चायोग के साथ मिलकर कार्य करने को कहा और यह सुनिश्चित करने के लिए सभी संभव कदम उठाने को कहा कि पीड़िता को न्याय मिले। तब से पांच व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है, यह आशा की जाती है कि अन्य व्यक्तियों को जो इस जघन्य कार्य के लिए उतने ही जिम्मेदार थे, तुरन्त गिरफ्तार किया जाएगा।

यह वास्तव में शर्म की बात है कि अफ्रीकी विद्यार्थियों पर इस तरह के हमले अक्सर होने लगे हैं। तथापि कर्नाटक के गृहमंत्री ने इस घटना को कोई महत्व नही दिया और कहा कि यह रोड़ रेज की घटना है पहले जो एक स्थानीय महिला की मृत्यु, जिसे एक सूडानी ड्राइवर ने कुचल दिया था

चर्चा में — नस्लवाद को समाप्त करना

और इसलिए इसका नस्लवाद से कोई संबंध नही है, यदि ऐसी बात है तो भीड़ कार में सवार व्यक्तियों पर क्यों हमले करती जो बहुत देर बाद घटना स्थल पर आई ? क्या इसका कारण यह नहीं है कि कार सवार व्यक्तियों की चमड़ी काली थी ? यदि यह नस्लवाद नही है ? तब यह क्या है ? इस बात से इंकार नही किया जा सकता कि हम काले रंगरूप वाले लोगो को पंसद नही करते है, हम पूर्वोत्तर राज्यों के अपने भाइयों और बहनों को टेढ़ी नजरों से देखते है क्योकि वे भिन्न दिखते है , हम केरल की काली चमड़ी वाली महिलाओं पर ताने कसते हैं; हम एक मंत्री द्वारा नाइजीरिया और उगांडा की महिलाओं पर आधी रात को मारे गए छापे को सही ठहराते है।

यह और कुछ भी नही बल्कि नस्लवाद के शर्मनाक कारनामें है और विभिन्न समुदायों और नस्लों के व्यक्तियों के विरूद्ध हिंसा है। जब तक हम नस्लवाद के कारण की हुई इन गलत हरकतों पर रोक लगाने में समर्थ नहीं होते हैं, विशेष कर काले लोगो का अनादर नही रोकते है और ऐसे कार्य करने वालों को कठोर दंड नही देते है, नस्लवाद की ऐसी बार–बार होने वाली घटनाएं अफ्रीकी देशों के साथ हमारे संबंधो पर विपरीत प्रभाव डालेगी और विश्व मे भारत की छवि को धूमिल करेगी।

महत्वपूर्ण निर्णय

- मुम्बई उच्च न्यायालय ने पुणे के एक युवक की सजा को, जिसने उसके विवाह के प्रस्ताव को अस्वीकार करने पर एक बी पी ओ कर्मचारी पर एसिड फेंक दिया था, बढ़ाया है। एक दो जज की डिवीजन बेंच ने कहा कि 2005 में एक 21 वर्ष की लड़की पर एसिड हमले में आरोपी को दिया गया सात वर्ष की अवधि का कारावास पर्याप्त कठोर नही है और उसे आजीवन कारावास का दंड दिया, उच्च न्यायालय ने पुलिस को आरोपी को ढूंढ निकालने का आदेश दिया जो 2007 में फरलो पर भाग गया था। कोर्ट ने कहा कि आरोपी ने उसकी जिंदगी खतरे में डाल दी और उसे किसी अन्य व्यक्ति के साथ शादी करने के नाकाबिल बना दिया। इस अमानवीय और निर्दयी कार्य के लिए केवल सात वर्ष के कारावास का दंड निश्चित ही न्याय न दिया जाना है और उसे आजीवन कारावास का दंड दिया।
- कर्नाटक उच्च न्यायालय ने एक जिला जज को बर्खास्त कर दिया। वह बेलागवी जिले मे कार्यरत था और एक जांच के बाद जिसे पूरा होने मे लगभग 4 वर्ष लगे, उसे महिला कर्मचारियों को यौन प्रताड़ित करने के आरोपों मे उसकी सेवाओं को समाप्त कर दिया।

विधि प्रकोष्ठ से

राष्ट्रीय महिला आयोग ने राजस्थान महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, दिल्ली, झारखंड और उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग के साथ अहमदाबाद में पारस्परिक वार्ता बैठक आयोजित की।

बैठक का उद्देश्य राज्य आयोगो के साथ संपर्को को सुदृढ़ करना था और पिछली पारस्परिक वार्ता बैठकों मे की गई सिफारिशों पर की गई कार्यवाही पर और महिलाओं को उनके जीवन के विभिन्न क्षेत्रों मे होने वाली विभिन्न समस्याओं जैसे मानव तस्करी, शिशु कन्या की हत्या, एन.आर.आई शादियों मे वधु को छोड़कर विदेश चले जाना, महिलाओं के विरूद्ध हिंसा, महिलाओं का उनके अधिकारों से वचिंत करना, एसिड की अनियमित बिक्री आदि के मामलों पर चर्चा करना था। बैठक में राज्य आयोगों और राष्ट्रीय महिला आयोग के समक्ष आने वाली शिकायतों की पुनरावृति को रोकने के लिए समाधान खोजने की भी कोशिश की गई ।

जन संपर्क प्रकोष्ठ से

22 फरवरी, 2016 से राष्ट्रीय महिला आयोग राष्ट्रीय नेटवर्क जैसे डी डी 1, दूरदर्शन का डी डी न्यूज और दूरदर्शन के पूर्वोत्तर राज्य चैनलों पर घरेलू हिंसा, महिलाओं से छेड़ाखानी और एन आर आई विवाहो पर 60 सेकेंड का स्पाट प्रसारित कर रहा है। प्रचार अभियान 1 महीने चलेगा।

पूर्वोत्तर राज्यों मे महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सशक्तिकरण पर बैठक

"पूर्वोत्तर राज्यों मे महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सशक्तिकरण" पर उप–समिति की बैठक 19 फरवरी 2016 को नई दिल्ली में हुई, बैठक में, जिसकी अध्यक्षा राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा ललिता कुमारमंगलम ने की। सभी आठ पूर्वोत्तर राज्यों की अध्यक्षाएं, सदस्य सचिव, महत्पूर्ण ओहदों के व्यक्ति और टी आई एस एस से उसके निदेशक, डा॰ परशुरामन के नेतृत्व में एक टीम उपस्थित हुई।

अपने उद्घाटन भाषण में अध्यक्षा ने इस बात पर जोर देकर शुरूआत की कि बैठक का मुख्य एजेंडा पूर्वोत्तर राज्यों की महिलाओं के समक्ष आने वाली समस्याओं को केवल पहचानना नही है अपितु अधिक महत्वपूर्ण उचित ठोस और कार्यवाही योग्य समाधान सुनिश्चित करना है जिसे पूर्वोत्तर राज्यों की महिलाओं के विकास और सशाक्तिकरण के लिए आयोग की नीति सिफारिशों मे शामिल किया जा सकता है।

उन्होने कहा कि पूर्वोत्तर राज्यों की महिलाओं को वातावरण के अनुसार जिसमे वे रहती हैं, विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, उन्होने कहा पूर्वोत्तर राज्यों की महिलाओं की वास्तविक स्थिति पर आधारभूत आंकड़ो की वास्तविक रिक्तता है और इसी कारण से राष्ट्रीय महिला आयोग ने विस्तृत शोध अध्ययन आरम्भ किया है। उन्होने इस बात को दोहराया कि केन्द्रीय सरकार अब उन राज्यों को शमिल करने के लिए दृढ़ संकल्प है जो आम विकास की परिधि से बाहर रह गए है और प्रधान मंत्री ने इस बात पर जोर दिया है कि महिलाओं को स्वच्छ भारत अभियान मुद्रा बैंक और जनधन योजनाओं मे अवश्य शामिल किया जाना चाहिए। उन्होने आशा व्यक्त की कि ये निष्कर्ष संपूर्ण तस्वीर पेश करेगें और अलग–अलग राज्यों से संबंधित विशिष्ट आवश्यकताओं पर प्रकाश डालेगें। उन मुद्दों मे जिनकी ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, प्राकृतिक विपदाएं जैसे भूकंप, जातीय दंगे और एकल महिला का मामला शामिल हैं। उन्होने प्रतिभागी राज्यों से अपने बेहतर तरीकों का पता लगाने और उनको बताने के लिए कहा–ताकि अन्य राज्य उनका अनुसरण कर सकें।

उपसमिति की बैठक में (बाएं से) सदस्या सचिव प्रीति मदान, सदस्या सुषमा साहू, सदस्या लाल डिंगलियानी साइलो, अध्यक्षा ललिता कुमारमंगलम, सदस्या रेखा शर्मा और आलोक रावत

उद्घाटन सत्र के बाद अध्ययन के निष्कर्षो और प्रस्तावित सिफारिशों का राज्य–वार प्रस्तुतिकरण हुआ। प्रस्तुतिकरण से महिलाओं के समक्ष आने वाली चुनौतियों मे कुछ समानता पाई गई और इसी तरह प्रत्येक राज्य के समक्ष आने वाली समस्याओं से निबटने के लिए अपनाई गई रणनीतियों मे समानता पाई गई। राज्यों द्वारा चर्चित मुद्दों में समाज में महिलाओं का सामाजिक दर्जा, आर्थिक स्थिति, राजनीति में स्थिति, स्वास्थ्य और महिलाओं के विरूद्ध हिंसा शामिल है।

विधि जागरूकता कार्यक्रम

अध्यक्षा ललिता कुमारमंगलम स्टेट रिसोर्स सेंटर (एस आर सी) चेन्नई द्वारा मनपक्कम में आयोजित प्रधान मंत्री सांसद आदर्श ग्राम योजना (पी एम एस ए जी बाई) के तत्वाधान में तीन दिवसीय पुनरचर्चा और विधि जागरूकता कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुई, 200 से अधिक प्रतिभागियों, जिनमें खंड–समन्वयक और सांसद आदर्श ग्राम योजना गांवों की महिलाऐं शामिल थी, हित लाभाधिकारी ने इस कार्यक्रम में भाग लिया।

इस अवसर पर बोलती हुई अध्यक्षा ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि स्टेट रिर्सोस सेंटर ने विशेषकर महिलाओं के लिए विधि साक्षरता के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए ऐसा लाभदायक कार्यक्रम आयोजित किया। उन्होने कहा कि महिलाओं के विरूद्ध हिंसा आमतौर पर परिवारों में पतियों के शराब के नशे मे रहने की आदत से होती है। उन्होने प्रतिभागियों से कहा कि वे पुलिस स्टेशनों मे अपनी शिकायतें दर्ज कराने के लिए तुरन्त 100 नम्बर पर डायल करें।

बाद में, अध्यक्षा ने ''डेवलपिंग इंडिया'' और ''पाथ आफ सकसेस'' शीर्षक में दो विडियो डाक्युमेंटरीज और विधि साक्षरता पर 11 पुस्तिकाएं और चुनावी साक्षरता पर फ्लैश कार्ड को रिलीज किया।

अध्यक्षा ललिता कुमारमंगलम पुस्तिकों का विमोचन करती हुई

''विविधता और समावेशी पहल'' पर सेमिनार

राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा ललिता कुमारमंगलम नैसकाम (एन ए एस एस सी ओ एम) द्वारा चेन्नई में ''विविधता और समावेशी पहल ''पर आयोजित सेमिनार मे उपस्थित हुई। नैसकाम का उद्देश्य अब तक हाशिए में पड़े विभिन्न समूहो को राष्ट्र के विकास की मुख्यधारा में लाने के लिए सरकार उद्योग और गैर सरकारी निकायों के साथ मिलकर विश्व की ''नरम शक्ति'' (साफ्ट पावर) के रूप में भारत के उभरने में अपना योगदान देना है।

सेमिनार के नेताओ, जो आई टी और आई टी ई एस सेक्टर की मुख्य–भूमिकाओं में है, को संबोधित करती हुई अध्यक्षा ने ''नेतृत्व–परिवर्तन की यात्रा'' पर बोला, उन्होने चमकते प्रतिभाशालियों, जो रोल मॉडल है, के बारे मे भी बोला। ये समाज में चुनौतिपूर्ण स्थितियों के बावजूद समाज में परिवर्तन ला रहे है। श्रीमती कुमारमंगलम ने प्रतिभागियों से अनुरोध किया कि वे एक ऐसा सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण पैदा करें जिसमें महिलाओं के प्रति आदर और महिला–पुरूष बराबरी को प्रोत्साहित किया जाए। सभी स्तरों पर महिलाओं को शमिल करते हुए बच्चों को महिला संबंधित मुद्दों पर शिक्षित करना चाहिए। एक प्रश्न के उत्तर में उन्होने बताया कि किस तरह व्यक्ति और संगठन घरेलु हिंसा को रोकने और उसके लिए उपलब्ध संसाधन के बारे में जागरूकता फैलाने में योगदान कर सकते हैं।

अध्यक्षा नैसकाम परामर्श सभा को संबोधित करती हुई।

प्रतिनिधि मंडल के दौरे

- एक तीस सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल जिसमें गुजरात में महाराजा सैय्याजीराव यूनिवोर्सिटी ऑफ बड़ौदा से फैकल्टी आफ लॉ के विद्यार्थी और प्रोफेसर थे, आयोग का कार्य और भूमिका के बारे में जानने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग गया।
- राष्ट्रीय लोक सहयोग और बाल विकास संस्थान नई दिल्ली ने महिला–पुरूष बराबरी और महिलाओं के सशक्तिकरण पर 11–15 जनवरी, 2016 को एक पुनरचर्चा प्रोग्राम का आयोजन किया। प्रशिक्षण कार्यक्रम को भाग के रूप में 30 प्रतिभागी आयोग के कार्य और महिलाओं से संबधित मुद्दो का समाधान करने के लिए अपनाए गए तरीकों के बारे मे जानने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग गए।
- एक तीन सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल जिसमें विद्यार्थी और नेशनल लॉ इंसटिट्यूट यूनिवोर्सिटी, भोपाल के फैकल्टी इंचार्ज थे, आयोग के कार्य तरीको और भूमिका के बारे में जानने के लिए 21 जनवरी, 2016 को राष्ट्रीय महिला आयोग गया।

ध्यान दीजिए।

राष्ट्रीय महिला आयोग का कार्यालय, पं॰ दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली–110002 से स्थानान्तरित होकर प्लाट सं॰ 21, जसोला इन्सटिट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली–110025 नजदीक मेट्रो स्टेशन–जसोला–अपोलो चला गया है।

निकास अपोलो अस्पताल की तरफ से (वायलट लाइन, (लाइन–6) आई टी ओ–एस्कोर्ट मुजेसर)

नजदीक बस स्टैंड : अपोलो अस्पताल, के ब्लाक, सरिता विहार,

नजदीक लैंडमार्क : सामने –एशिया पैसिफिक मैनेजमेंट इन्सटिट्यूट

वेबसाईट : **www.ncw.nic.in**

ई पी ए बी एक्स सं॰ : 011–26942369, 26944740, 26944754, 26944805, 26944809

फरवरी, 2016 के महीने में प्राप्त शिकायतें

माह	प्राप्त शिकायतें	इन शिकायतों की संख्या जिन पर कार्यवाही की गई	बंद
फरवरी, 2016	1591	1306	694

आयोग ने फरवरी, 2016 में 9 मामलों को स्वतः संज्ञान में लिया।

लीक से हट कर कार्य

छत्तीसगढ़ के धामतरी जिलें में एक गांव से 104 वर्ष की एक वृद्ध महिला की, जिसने अपने घर में दो शौचालयों का निर्माण करने के लिए अपनी बकरियों को 22,000 रूपयों में बेच दिया था, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने विशेष प्रंशसा की। उन्होने कहा कि यह बदलते भारत का एक बड़ा संकेत है। प्रधान मंत्री ने धामतरी के गांव कोटाभररी से कुंवर बाई का अपने गांव को खुले में शौच से मुक्त करने हेतु उसके प्रयासो के लिए अभिनन्दन किया।

उन्होने कहा कि उन्हे इस बात पर आश्चर्य हुआ कि ''स्वच्छ भारत मिशन'' के अंतर्गत शौचालयों के निर्माण का विचार किसी तरह 104 वर्ष की एक वयोवृद्ध महिला तक पहुचा जो एक दूर गांव में रहती है और टेलीविजन नही देखती है अथवा अखबार नही पढ़ती है।

साहस की मिसाल

उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद में एक महिला ने अपने दूल्हे को वापस कर दिया जब वह विवाह स्थल पर पूरी तरह से शराब पीए हुए पहुंचा। समुदाय के बुजुर्गो ने कोई रास्ता निकालने के लिए पंचायत की परन्तु अंत में वर पक्ष के लोगों को शर्मिन्दा होकर वापस लौटना पड़ा क्योकि महिला ने कथित तौर पर धमकी दी कि यदि बल पूर्वक उसके साथ शादी की जाती है तो वह अपनी जान दे देगी।

दूल्हे को ऐसी स्थिति में देखकर महिला ने अपने माता–पिता और भाई–बहनों से कहा कि वह उससे शादी नही करेगी। जब उन्होने उस पर दबाब बनाया तो उसने अपनी जान देनी की धमकी दी। इसके बाद दोनो तरफ के बुजुर्ग सर्व सम्मति से मान गए।

सदस्यों के दौरे

• सदस्या सुषमा साहू 16 फरवरी, 2016 को अहमदाबाद में शाहीबाग में राज्य महिला अयोगों के साथ पारस्परिक वार्ता बैंठक मे उपस्थित हुई। • श्रीमती साहू सदस्या रेखा शर्मा के साथ 17 फरवरी, 2016 को एक मीडिया रिपोर्ट शीर्षक ''रेप का आरोपी बिहार का विधायक भागा हुआ है'' जो ''दी हिंदु'' मे प्रकाशित हुई थी, की जांच करने के लिए पटना के नालंदा गई। • श्रीमती साहु ''राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा नई दिल्ली में आयोजित, ''पूर्वोत्तर राज्यों में महिलाओं का सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सशक्तिकरण'' पर उप–समिति की बैठक में उपस्थित हुई। • सदस्या रेखा शर्मा रोगियों की देखभाल की जांच करने और उन्हे दी गई सुविधाओं को देखने के लिए पंजाब मे अमृतसर में मानसिक स्वास्थ्य संस्था (सरकारी मानसिक रोग अस्पताल) गई। • सदस्या पंजाब गई और टी आई एस एस के अधिकारियों, राज्य महिला आयोग की अध्यक्षा, महिला और बाल विकास मंत्रालय के अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों के साथ राष्ट्रीय महिला आयोग के प्रोजेक्ट ''हिंसा मुक्त घर'' पर चर्चा करने के लिए बैठक की। बाद में उन्होने एक महिला शिकायतकर्त्ता द्वारा प्रस्तुत एक मामले की सुनवाई की।

सदस्या सुषमा साहू जांच के लिए नालंदा में

सदस्या रेखा शर्मा मानव तस्करी पर सेमिनार मे भाषण करती हुई।

• श्रीमती शर्मा कलाकुरिची स्थित एस बी एस योगा मेडिकल कालेज की 3 महिला विद्यार्थियों द्वारा की गई आत्महत्या की जांच करने के लिए चेन्नई गई और चेन्नई के ए डी जी पी और पीड़ितों के माता–पिता से मिली। • सदस्या शक्तिवाहिनी द्वारा ''मानव तस्करी'' पर आयोजित सेमीनार में उपस्थित होने के लिए सिलिगुड़ी गई । • श्रीमती शर्मा राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा अहमदाबाद में शाहीबाग मे आयोजित राज्य महिला आयोगो की पारस्परिक वार्ता बैठक में उपस्थित हुई। • सदस्या एक जांच समिति की अध्यक्षा के तौर पर पटना में नालंदा गई। वह पीड़िता पुलिस महानिदेशक बिहार, नांलदा पुलिस अधीक्षक, और डाक्टर जिसने पीड़िता की डाक्टरी जांच की थी, से मिली।

आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम

बिजली वितरण कंपनी बीएसईएस ने दिल्ली पुलिस की महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष यूनिट के साथ सहयोग से शहर के स्कूलों से 3,000 से अधिक लड़कियों के लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया। इस कार्यक्रम मे जो 15 दिनों से अधिक चला, खुलकर बोलने, खतरे का शोर मचाने और जटिल स्थितियों से निबटने के महत्व के बारे में प्रतिभागियों को शिक्षित करने का प्रयास किया। प्रतिभागियों को उनके रोजमर्रा की स्थितियो मे आने वाले संभावित खतरों की जानकारी दी गई और उन्हे स्थिति का विश्लेषण करने और पूर्वोपाय करने के बारे मे बताया गयौ। उन्हे कहा गया कि वे इस जानकारी को अपने दोस्तो, पड़ोसियों और परिवार के सदस्यों को बताएं।

अग्रेतर सूचना के लिए देखिए हमारा बेबसाइट : www.ncw.nic.in

राष्ट्रीय महिला आयोग, 4 दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली–110002 द्वारा प्रकाशित। सम्पादक : गौरी सेन आकांक्षा इम्प्रेशन, 18/36, गली नं. 5, रेलवे लाइन साईड, आनंद पर्वत इंडस्ट्रियल एरिया, न्यू रोहतक रोड़, नई दिल्ली–5 द्वारा मुद्रित